2023/662
A/298/2023
U/S-212 R.T.A. 1955

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

मूलाराम व अन्य / मैनाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	15 बावजूद तामील आज दिनांक तक उप० नहीं आए हैं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु आयंदा दिनांक 15.5.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
15.5.25	पत्रावली पेश हुई वकील उप०। वकील बहस हेतु समय चाहते है, दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 हेतु दिनांक 23.05.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
23/05/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी प्रार्थी उप०। वकील अप्रार्थी सं 1, 2, 3/1 से 3/6, 4, 5 एवं 12 उपस्थित। बहस वकील सुनी गई वकील प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की व नही खण्डन किया। अप्रार्थीगण 1 से 5 एवं 12 के जवाब प्रा-पत्र के में भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दरख्वास्त प्रकरण से संबंधित मूल वाद बंटवारा

Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2023/662

Number of Case A/298/ Year 2023

मूलाराम व अन्य Versus नैनाराम व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	से संबंधित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सहखातेदारी शामलाती आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का आराजी के प्रत्येक हिस्से पर हक एवं अधिकार निहित होना माना जाता है। अतः जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष मे स्थापित होता है। साथ ही, पूर्व विवेचन अनुसार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रत्येक सहखातेदार के जमाबंदी मे दर्ज उनके हिस्से अनुसार उनके पक्ष मे स्थापित होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जाती की जाती है कि उभयपक्षकारान ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी का किसी विशिष्ट भू-भाग का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करे व न ही किसी प्रकार का नवीन निर्माण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्कल से शामिल होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर